न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—43 / 2024 (2024 / 105) वाद पत्र

उनवान

1—मोहन पिता नाथुलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—धनराज पिता भैरूलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—शंकरलाल पिता नाथुलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — वादीगण अधिवक्ता
2. मुकेश कुमार चौधरी— प्रतिवादीगण अधिवक्ता

निर्णय दिनांक—14.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। वादी के मूल पुरूष पन्ना थे जिनके 3 लड़के भागु, किशना, रामा हुए तथा इनमें से किशना व रामा ला औलाद फोत हुए तथा भागू के दो लड़के भैरा व नाथु हुए जिनकी भी मृत्यु हो गई भैरा के एक लड़का धन्ना तथा नाथु के दो लड़के शंकर व मोहन हुए। वादी एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरुष पन्ना जी की मृत्यु के पश्चात उनके नाम की शामलाती मौरूषी कृषि आराजियात उनके तीनों लड़क भागु किशना, रामा के नाम दर्ज हुई तथा तीनों भाई शामिल शरीक ही रहते थे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो की शामलाती मौरूषी खातेदारी कृषि आराजियात ग्राम बोरियापुरा प०ह० बोरियापुरा में साबिक खाता संख्या 27 में अंकित साबिक आ.स. 43 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, आ.स 44 रकबा 16 बिस्वा, आस 96 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आ.स. 150 रकबा 5 बिस्वा. आ.सं. 151 रकबा 4 बिस्वा, आ.स. 152 / 1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ.स. 152 / 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आ.स 383 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ.स. 463 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आ.स. 464 रकबा 15 बिस्वा, आ.स. 483 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ.सं. 510 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आ.स. 511 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, आ.स. 512, 513 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, आ.स. 514 रकबा 12 बिस्वा, आ.स. 515 रकबा 3 बिस्वा, आ.स. 758 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, आ.स. 808 रकबा 3 बिस्वा, आ.स. 809 रकबा 2 बिस्वा, आ.सं. 1025 रकबा 39 बीघा 17 बिस्वा, आ.सं. 1170 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 22 कुल रकबा 60 बीघा 15 बिस्वा भूमी दर्ज रेकॉर्ड हैं प्रमाण में साबिक जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 की वादपत्र के साथ पेश की हैं। इसी तरह साबिक खाता संख्या 26 में अंकित आस 803 / 2 रकबा 2 बिस्वा, आ.सं. 805 रकबा 19 बिस्वा, आस 807 रकबा 2 बिस्वा, आ.स. 811 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमी किशना पिता पन्ना जी के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। प्रमाण में साबिक जमाबंदी सम्वत 2019 से 2021 की वादपत्र के साथ पेश हैं। वादी एवं

प्रतिवादी सख्या एक से दो के दादा जी भागू जी के भाई किशना व रामा के कोई औलाद नहीं थी तथा उक्त तीनो भाईयों ने अपने—अपने हिस्से की भूमियों का आपसी सहमति से राजस्व रार्कॅड में विभाजन करवा लिया। वादी एवं प्रतिवादी के दादा जी के सगे भाई रामा व किशना की लाऔलाद मृत्यु हो गई तथा उनका सारा सामाजिक क्रियाक्रम वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा जी ने ही किया था तथा उनके एकमात्र विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा जी मागु जी ही थे। वादी के दादा जी के दोनो भाईयो ने किसी को गोद नहीं रखा तथा न ही ऐसा कोई गोदनामा निष्पादित कर पंजीयन करवाया गया फिर भी रामा जी व किशना जी की मृत्यु के पश्चात रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा रामा जी क किशना जी का विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय नामान्तरण संख्या 223 व 328 के जरिए प्रतिवादी धन्ना को किशना जी का गोद पुत्र बताते हुए किशना जी की कृषि भूमियों को प्रतिवादी धन्ना जी के नाम दर्ज कर दी तथा रामा जी का विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय नामान्तरण संख्या 224 के जरिए प्रतिवादी शंकर को रामा जी का गोद पुत्र बताते हुए रामा जी की कृषि भूमियों को प्रतिवादी शंकर जी के नाम दर्ज कर दी जो गलत होकर अवैध हैं। किशना जी व रामा जी के एक मात्र विधिक वारीसान भागू जी थे तथा वादग्रस्त भूमियों को भा़गु जी के नाम दर्ज करनी चाहिए थी। उक्त नामान्तरण शुरू से ही शुन्य होकर अवैध है। वादग्रस्त संपूर्ण भूमियों पर वादी के दादा जी ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त संपूर्ण भूमियों पर वादी एवं प्रतिवादी सख्या दो के पिता नाथु जी 1/2 हिस्से पर तथा 1/2 हिस्से प्रतिवादी सख्या एक के पिता भैरा जी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु राजस्व रेकॉर्ड में गलत तरीके से प्रतिवादी संख्या एक व दो को गोद पुत्र बता कर गलत तरीके से नामान्तरण दर्ज कर दिया गया जिससे रामा जी एव किशना जी की जमीन राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी सख्या एक व दो के नाम पर दर्ज चली आ रही है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा जी भागू जी की मृत्यु के पश्चात उनके खाते की भूमी को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो गलत होकर अवैध हैं जिससे इस आशय की घौषणात्मक डिक्री जारी फ़रमाया जाना न्यायोचित हो गया है कि नामान्तरण सख्या 223, 328 तथा नामान्तरण सख्या 224 गोदनामा के अभाव में शुरू से ही शुन्य है तथा वादग्रस्त संपूर्ण भूमियों में वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सख्या दो 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं। तहसील रायपुर में भुप्रबंध होने से ग्राम बोरियापुरा में भी भुप्रबंध हुआ। भुप्रबंध के बाद भागु जी के नाम दर्ज भूमियो का नवीन खाता सख्या 114 कायम किया गया जिसमें अंकित कुल किता 16 कुल रकबा 6.08 हैक्ट भूमियां जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के दादा जी द्वारा क्रय की गई भूमियां भी शामिल हैं जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या एक का तथा वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या दो का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया जो सही दर्ज किया गया है। लेकिन खाता संख्या 119 में कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 हैक्ट भूमियों को प्रतिवादी संख्या एक धन्ना दत्तक किशना के नाम तथा खाता 402 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 4.23 हेक्ट. को प्रतिवादी सख्या दो शकर दत्तक रामा के नाम दर्ज किया गया जो गलत होकर अवैध है। धन्ना दत्तक

किशना व धन्ना पिता भैरूलाल एक ही व्यक्ति हैं तथा इसी तरह शंकर दत्तक रामा व शंकर पिता नाथु एक ही व्यक्ति होकर दोनो प्रतिवादीगण ही हैं। उक्त दोनो खाते में वादी का 1/4 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं जिसे करीब 40–50 साल हो गए हैं। इसी तरह नवीन खाता संख्या 392 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 हैक्ट में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा है तथा उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परंतु उक्त खाते में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो का 1/8 व 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत होकर अवैध है। इसी तरह खाता संख्या 393 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.09 हैक्ट भूमियों में वादी का 1/4 हिस्सा हैं तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो का 1/4 हिस्सा हैं तथा इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें हैं परंतु उक्त खाता में वादी का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/3 व 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो का 1/12 व 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो गलत होकर अवैध हैं जिससे खाता संख्या 119, 402, 393, 392 में धन्ना दत्तक किशना व शंकर दत्तक रामा का नाम हटाया जाकर वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक को 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या दो को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घौषणात्मक डिक्री जारी जाना न्यायोचित हो गया है। अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम बोरियापुरा प0ह0 बोरियापुरा में स्थित खाता संख्या 119 में अंकित कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 है0, खाता संख्या 402 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 4.23 है0, खाता संख्या 393 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 392 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 मे से धन्ना दत्तक किशना, शंकर दत्तक रामा का नाम हटाया जाकर उक्त सभी खाता में वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाब पस्तुत नही कर उभयपक्ष की ओर से लोक अदालत की भावना से राजीनाम प्रस्तुत किया गया जो शामिल किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है।

उभयपक्ष की ओर से राजीनामा अन्तर्गत आदेष 23 नियम 3 सीपीसी में अंकन किया कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र डिक्री फरमाया जावे। अतः राजीनामें अनुसार वादपत्र डिक्री फरमाया जाए।

उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो की होकर पैतृक और पुश्तैनी जमीन होना रेकार्ड से प्रमाणित है। साबिक रेकार्ड में वादवर्णित भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजो के नाम की है। वादी व प्रतिवादी की पैतृक भूमि होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का उक्त वादवर्णित कृषि भूमियों पर हक अधिकार निहित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा भी स्वीकार किया कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र डिक्री फरमाया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा प0ह0 बोरियापुरा में स्थित खाता संख्या 119 में अंकित कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 है0, खाता संख्या 402 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 4.23 है0, खाता संख्या 393 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 392 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 मे से धन्ना दत्तक किशना, शंकर दत्तक रामा का नाम हटाया जाकर उक्त सभी खातों में वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिव्यराज सिंह चुण्डावत
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–43 / 2024 (2024 / 105) वाद पत्र

उनवान

1–मोहन पिता नाथुलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1–धनराज पिता भैरूलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–शंकरलाल पिता नाथुलाल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा प0ह0 बोरियापुरा में स्थित खाता संख्या 119 में अंकित कुल किता 13 कुल रकबा 4.22 है0, खाता संख्या 402 में अंकित कुल किता 9 कुल रकबा 4.23 है0, खाता संख्या 393 में अंकित कुल किता 5 कुल रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 392 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 मे से धन्ना दत्तक किशना, शंकर दत्तक रामा का नाम हटाया जाकर उक्त सभी खातों में वादी को 1 / 4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 को 1 / 2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 को 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 14.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)